FORM N0. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

सांवरमल उर्फ महावीर बनाम रामेश्वर व अन्य

किस्म मुकदमा/अपील/एलआर/नं0/2023/113 जिला नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपी0 अधि0 : श्री गिरीश शर्मा केवि :– सहदेव चौधरी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.06.2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 05 के केवियटकर्ता अधिवक्ता उपस्थित। केवियटकर्ता अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जिसकी प्रति अपीलान्ट अधिवक्ता को दिलाई गई। उन्हे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी पर सुना गया। केवियटकर्ता अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर बहस के दौरान निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित वैधानिक निर्णय दिनांक 03.08.2022 के द्वारा प्रकरण को तहसीलदार मौलासर को प्रतिप्रेषित कर दोनो पक्षकारान को यथोचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया गया जिस पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण को दर्ज कर सभी पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर सहायक कलक्टर डिडवाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2022 की पालना मे दिनांक 18.05.2023 को विधि अनुसार निर्णय पारित कर दिया गया जिसकी पालना मे प्रार्थीगण के पक्ष मे नामान्तकरण भी स्वीकृत किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अपीलान्ट अधिवक्ता ने कोई आपत्ति जाहिर नही की है। अपील **Subject to Limitation** दर्ज रजिस्टर की जावें। उभय पक्ष अभिभाषक की प्रार्थना पत्र पर हुई बहस पर मनन किया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय की पालना मे नामान्तकरण स्वीकृत होने से अपील सारहीन हो चुकी है। अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अपील सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 21.6.23 संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned with CamScanner